

## अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश संस्थान

संख्या:- प्राविष/परिषद सम्बद्धता/2023/12090001

संख्यांक: दिनांक: 12-09-2023

### सम्बद्धता ज्ञापन:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संचालित डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० संस्थानों से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में क्रमांक दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थानों को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० संस्थान द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अखिल प्रवेश कक्षा हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4450-ALLAHABAD COLLEGE OF ENGINEERING & MANAGEMENT

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आइ०सी०पी०ई०/ पी०सी०आइ० द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1.	CIVIL ENGINEERING	50	50
2.	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	60	60
3.	ELECTRICAL ENGINEERING	120	120
4.	ELECTRONICS ENGINEERING	60	60
5.	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60
6.	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60

### सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 311/16-3099/9/2022 टी०पी०-1 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संचालित संस्था संस्थानों की ओर से विद्यार्थी संस्थानों के अंतर्गत वि० प्राविधिक संख्या 5627/2023 में संचालित संस्थानों के अतिरिक्त निर्णय के अधीन सम्बद्धता निर्णय की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के मातहत के अनुमोदित संस्थानों में सम्बद्धता विस्तार (पूर्ति, भारत, जैव-उत्पादों) अति आवश्यक है।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमनों 1982, विनियमनों-2000, संशोधित विनियमनों-2016 तथा संस्था-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन करेगी तथा मुख्य निर्देशिका समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रयोग करेगी/करना न चाहे तब भी लागू रहेगा। अतः ले-अतिरिक्त आदेशों को ले-अनुक्रम में संस्था में कार्य-समय पर प्राप्त हुए निर्णय किये जाने वाले



कार्यालय

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश सहनऊ

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/7617

सहनऊ दिनांक: 30/08/2022

कार्यालय ज्ञापन:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्यालयी कार्यालयित अंतर्गत इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वैश्विक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० सहनऊ से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अखिल नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं की सम्बद्धता विस्तार कार्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मटे पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० सहनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अर्धीन कार्यक्रम एवं उसमें अधिक प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4450-ALLAHABAD COLLEGE OF ENGINEERING & MANAGEMENT

क्र०सं०	कार्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	120	120
2	ELECTRICAL ENGINEERING	120	120
3	ELECTRONICS ENGINEERING	60	60
4	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	60	60
5	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	120	120
6	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था द्वारा प्रस्ताव प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, संशोधन विनियमावली-2016 तथा सम्बन्धित प्रा. विहित मान्यताओं का अनुपालन करेगी तथा

शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों (इसमें पाठ्यक्रमों हेतु रू० 30150.00/- प्रतिवर्ष दो वर्षों परमैत्री पाठ्यक्रम हेतु रू०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षों पाठ्यक्रमों (दो वर्षों कार्यक्रमों पाठ्यक्रम को अतिरिक्त) हेतु रू०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्मित किये जाने वाले शासनादेश प्रभावों होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। पीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु पीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो पीस की नवीनतम दर लागू होगी।

- ✓ संस्था में समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं वन्द्यता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि,नियमों अधिनियमों,शासनादेशों,निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा उ०प्र०, समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई काद टापर किया जाता है तथा टापर काद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को समुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासन उ० द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद द्वारा तैयार की उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर उच्चोच्च प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आदेशन नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, छात्र-संख्या, उपकरण, प्राय किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-परिष्करण हेतु उपयुक्त साधन/संसाधन उपलब्ध कराने के साथ उचित रीकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संघटित कार्यक्रम की घोषाएं जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख भूमि,भवन, कमींयर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था को सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के औद्योगिक स्वीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, जनसंख्या एवं अन्य छात्र-संख्या ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०परिषद के मानकनुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नवृत्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

  
 (ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०)

सचिव

**प्रांति  
शिक्षा, उच्चशिक्षा तथा शोध  
आयुक्त, दिल्ली**

क्रमांक:- (शिक्षा)/शोध/संस्कृत/2020/201

दिनांक:- दिनांक 12-9-2020

**<संबंधित सूचना>**

प्रांति प्रांतीय उच्चशिक्षा तथा शोध एवं शिक्षा, दिल्ली उच्चशिक्षा तथा शोध विभाग एवं शिक्षा एवं शोध विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 में शिक्षा, उच्चशिक्षा तथा शोध विभाग के अधीन में कार्य करने वाले शिक्षकों के लिए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा।

1. उम्मीदवारों को उच्चशिक्षा तथा शोध विभाग के अधीन में कार्य करने वाले शिक्षकों के लिए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा।

2. उम्मीदवारों को उच्चशिक्षा तथा शोध विभाग के अधीन में कार्य करने वाले शिक्षकों के लिए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा।

दिनांक 12-09-2020 को प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा।

क्र. सं.	पद का नाम	आय का स्तर	आय का स्तर	आय का स्तर	आय का स्तर
1	उच्चशिक्षा तथा शोध विभाग के अधीन में कार्य करने वाले शिक्षकों के लिए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है।	100000/-	100000/-	100000/-	100000/-

**आयुक्त, दिल्ली**

- ✓ उम्मीदवारों को उच्चशिक्षा तथा शोध विभाग के अधीन में कार्य करने वाले शिक्षकों के लिए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है।
- ✓ उम्मीदवारों को उच्चशिक्षा तथा शोध विभाग के अधीन में कार्य करने वाले शिक्षकों के लिए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है।



**कार्यालय:**

**सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,**

**उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राशिया/परिषद/सम्बद्धता/2021/2537

लखनऊ दिनांक: 09/08/2021

**कार्यालय ज्ञाप:**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मैथिलिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संयुक्त हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संयोजित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य सद्दा पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु संयोजित गती के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4450-ALLAHABAD COLLEGE OF ENGINEERING & MANAGEMENT, G.T. ROAD, PURAIEN MORH, KHAGA, FATEHPUR

क्र०स०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	120	120
2	ELECTRICAL ENGINEERING	120	120
3	ELECTRONICS ENGINEERING	60	60
4	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	60	60
5	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	120	120
6	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, सेमेस्टर विनियमवली-2018 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं अवेजों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों के अर्थात् पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों के अर्थात् फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षों के अर्थात् फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर वाकल द्वारा निर्णय किये जाने वाले मामलादेमा प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यावाही किया जाना आवश्यक होगा। जोस निर्धारण समिति द्वारा व्यदि सत्र 2021-22 हेतु जोस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो जोस की स्विकृतम टरे लागू होगी।

- ✓ संस्था की समग्र-समग्र पर निराला वास्तुवादीय के अनुकार निर्माण एवं सम्बद्धता सुनिश्चित करना होगा।
- ✓ संस्था को एग्रेडेशन/पीपीसी/आईई/पीपीसी/आईई से आगामी एक हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश वास्तु द्वारा बनाने गये विधि-निष्पत्ती अधिनियम वास्तुवादीय निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उपाध्यक्ष तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उपाध्यक्ष द्वारा बनाने गये नियमों, विनियमों, अंतरी निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ विज्ञानोंमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम को संस्था पर डिपेंसी आई न्यू दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने से आवश्यक नहीं है कि इन संस्था में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था को उत्तरदायी होगा। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश वास्तुवादीय को कोई बाध बाधुर किया जाता है तथा बाधुर बाध के संबंध में जो आवश्यकताएं हैं किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं देती अंतरा निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करना होगी।
- ✓ विज्ञानोंमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम को संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तकनीक द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आचार्यित भवना परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ करने के पूर्व पीपीसी/आईई से अनुमोदन प्राप्त कर कार्यक्रम को उपलब्ध कराना होगा अतः उक्त परीक्षा की काउन्सिलिंग के माध्यम से उक्त संस्था को उक्त परीक्षा अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भवना हेतु निर्गत अधिनियम-आयुक्त निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, छात्र-संख्या, उपकरण, प्रायः क्षिण जाने वाला सुविधा, छात्रवास सुविधा आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षा-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ हीगैर रोकने के उपायों से समस्त आवश्यक उपकरण सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था पर सुनिश्चित हो से कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को चलाने जाने हेतु विरहित सभिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, कार्यवाही, उपकरण, इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में उपयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपलब्ध का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के सजीव निर्माण हीमान यदि संस्था में भूमि, भवन, यंत्रोपकरण, उपकरण एवं अन्य सब-संस्था एग्रेडेशन/पीपीसी/आईई/पीपीसी/आईई/परिषद के मानकनुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता गार्न्तों का अनुपालन न किये जाने, अथवा गार्न्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुपालनकरना कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)  
सचिव

पृष्ठ सं- प्राशिक्षापरिषद सम्बद्धता/2021/3634-4869

दिनांक 09/08/2021

प्रतिलिपि:-  
प्रधानाचार्य/निदेशक ALLAHABAD COLLEGE OF ENGINEERING & MANAGEMENT, G.T ROAD, PURAIEN MORH, KHAGA, FATEHPUR

  
(सुनील कुमार सोनकर)  
सचिव